10 3/2, वकील प्रार्थी उक्त प्रार्थी के कब्जा तक काबिज
मौपालन नहीं की इसलिये प्रार्थना पत्र 32 राज
अन्तर्गत आदेश 9 R 5 CPC के खारिज किया
जाता है पत्रावली के सब शुमार धारा नम्बर
से कर दी वापस की मूल वाद में काम कलगा
रहे।

सहायक कलक्टर
बान्सूर (अलवर)